डिक्री बमूकद्दमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी : अभिलाषा, आर.ए.एस. **राजस्व वाद संख्या 17/2024**

वादी

1. नगरमल पुत्र हजारीमल
2. अशोक कुमान पुत्र हजारीमल
3. विष्णुप्रसाद पुत्र हजारीमल जातियान ब्राह्मण निवासीगण गोराऊ तहसील जायल

बनाम

प्रतिवादीगण

1. द्रोपदी देवी पत्नी हजारीमल
2. कोशल्या पुत्री हजारीमल
3. दुर्गा पुत्री हजारीमल
4. बंसती पुत्री हजारीमल
5. मंजू देवी पुत्री हजारीमल जातियान ब्राह्मण निवासीगण गोराऊ तहसील जायल
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति –

1. वादी 1 से 3 कि ओर से श्री हनुमानराम मण्डा एडवोकेट
3. प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से श्री शिवप्रकाश सिंवर एडवोकेट

–:: डिक्री आदेश ::–

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री हनुमानराम मण्डा वं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री शिवप्रकाश सिंवर एडवोकेट की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :–

1. वादी संख्या 1 नागरमल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गोराऊ के खसरा नम्बर 471 रकबा 2.6547 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा रकबा 0.8849 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार व खसरा नम्बर 114 रकबा 1.9506 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा रकबा 0.6502 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
2. वादी संख्या 2 अशोक कुमार के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गोराऊ के खसरा नम्बर 471 रकबा 2.6547 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा रकबा 0.8849 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार व खसरा नम्बर 114 रकबा 1.9506 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा रकबा 0.6502 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
3. वादी संख्या 3 विष्णु प्रसाद के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गोराऊ के खसरा नम्बर 471 रकबा 2.6547 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा रकबा 0.8849 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार व खसरा नम्बर 114 रकबा 1.9506 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा रकबा 0.6502 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्रोपदी, कोशल्या, दुर्गा, बंसती एवं मंजू के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी द्वारा अपना हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।

5. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरों पर रहन यथावत रहेाग। बैंक सूचित हो।

6. वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।

आज की तारीख लीज – मबलिक – बाबत – खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर – फीस सदी सालाना ख,तारीख वसूल योगो तक – को अदा करें। बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 31/07/25 को जारी किया गया

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह साबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीष्नर बबत इजराय हुक्मीजान मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीष्नर बाबत् इजराय हुक्मीजान मुतफर्रिक		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner